न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 146 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. समाराम पुत्र श्री खेतारामजी जाति भील निवासी गंगावास तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर 2.कालूखां पुत्र श्री कासमखां जाति मोयला मुसलमान निवासी गंगावास तहसील पचपदरा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 74 / 2002 बअनवान समाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेण्ट की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– 31.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 484 व 485 रकबा क्रमशः 05 बीघा व 02.14 बीघा सरहद मौजा गंगावास में स्थित हैं। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है। अपीलांट को अपीलाधीन आराजी से कभी भी किसी भी रूप में बेदखल नहीं किया गया तथा जिसे राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार अधिकारी दर्ज करने के भी आदेश हैं। परन्तु खातेदारी में प्रविष्टि तक नहीं की गयी, जिस पर उसके द्वारा उक्त वाद पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुनवाई का का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि अपीलांट को पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत रखने की सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मातहता अदालत द्वारा मनमना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की आगामी माह जून 2015 को वास्ते साक्ष्य वादी हेतु ही मुर्करर थी और प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का समुचित जबाव व उनके हक में तनकी भी तय नहीं की गई जिसके अभाव में अपीलांट को अपनी साक्ष्य सफाई भी पेश करने का सम्पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि से परे जाकर पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दोहरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराया कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है। अपीलांट को अपीलाधीन आराजी से कभी भी किसी भी रूप में बेदखल नहीं किया गया तथा जिसे राजस्व रेकर्ड में गैर खातेदार अधिकारी दर्ज करने के भी आदेश हैं। परन्तु खातेदारी में प्रविष्टि तक नहीं की गयी, जिस पर उसके द्वारा उक्त वाद पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुनवाई का का अवसर दिये बिना कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि अपीलांट को पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई बाबत रखने की सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मातहता अदालत द्वारा मनमना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की आगामी माह जून 2015 को वास्ते साक्ष्य वादी हेतु ही मुर्करर थी और प्रतिवादी का समुचित जबाव व उनके हक में तनकी भी तय नहीं की गई जिसके अभाव में अपीलांट को अपनी साक्ष्य सफाई भी पेश करने का सम्पूर्ण अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमा से बाहर जाकर प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए विधि के प्रतिकूल निर्णय पारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज है। अपीलांट अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट/वादी द्वारा हस्तगत वाद जमीनों की कीमते बढने के बाद राजकीय भूमि को हड़पने की नियत से पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट अपना वाद साबित नहीं कर पाये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। दिनांक 01.09.2017 को हल्का पटवारी ने वादग्रस्त भूमि पर आकर अपीलांट को बाहर निकालने व वाद खारिज होने की धमकी दी जिस पर अपीलांट को प्रथम बार उक्त वाद खारिज होने का ज्ञान हुआ जिसकी तत्काल नकल मांगी गयी व जो दिनांक 11.09.2017 को प्राप्त हुई। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 की आरे से राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात पाया कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट/वादी का कोई हक हिस्सा होना जाहिर नही होता है। न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित निर्णय को तकनीकी बिंदुओं पर खारिज करवाने के अलावा वादग्रस्त आराजी पर अपना हक साबित करने संबंधी कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट अपीलाधीन आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। मौके पर अपीलांट/वादी की स्थिति एक अतिक्रमी की हैसियत है। अपीलांट/वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट/वादी का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा काश्त रहा हो। अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के राजस्व वाद संख्या 74/2002 बअनवान समाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

31/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner